कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लॉक - 3, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
Email - slqaccg@gmail.com, Website - highereducation.cg.gov.in

क्रमांक: 944 /192/आउशि/गु.प्र./2026 दिनांक: 17 /03/2026

प्रति,

1. कुलसचिव
   समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़
2. प्राचार्य
   समस्त स्वशासी महाविद्यालय, छत्तीसगढ़

विषय:- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अंतर्गत जेनेरिक इलेक्टिव (GE) एवं AEC-04 के संचालन के संबंध में।

----000----

उपरोक्त विषयांतर्गत अवगत होना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अंतर्गत प्रभावशील FYUP (Four Year Undergraduate Program) के तहत डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स (DSC) एवं जेनेरिक इलेक्टिव (GE) का करिकुलम समरुप रखा गया है। यह व्यवस्था GE के अध्यापन हेतु उपलब्ध संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग हेतु की गई है। विदित हो कि GE के अध्ययन एवं मूल्यांकन हेतु अन्य संकाय (GE के मूल संकाय, अर्थात् संबंधित DSC से अलग) के विद्यार्थी पात्र हैं। परंतु विभिन्न माध्यमों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर यह प्रकाश में आया है कि कई संस्थाओं में DSC एवं GE का ESE (End-Semester Examination) में प्रश्न पत्र एक ही रखा जा रहा है, जिस वजह से GE के विद्यार्थियों का प्रश्न पत्र का स्तर कठिन हो रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में GE प्रावधानित करने का आशय अन्य संकाय के विद्यार्थियों में प्रस्तावित संकाय के प्रारंभिक ज्ञान समाहित करने से है, ना कि GE की विषय विशेषज्ञता विकसित करना है। उक्त मंशा के अनुरुप निर्देशित किया जाता है कि ESE (End-Semester Examination) में DSC एवं GE का प्रश्न पत्र अनिवार्यतः पृथक-पृथक तैयार करें, एवं GE के प्रश्न पत्र का स्तर दूसरे संकाय के विद्यार्थयों के स्तर के अनुरुप सरल रखा जाये।

चतुर्थ सेमेस्टर में समस्त संकायों में FYUP में प्रावधानित "AEC-04: Communicative English and Soft Skills" का संचालन किया जाना है। उक्त AEC-04 के ESE के प्रश्न पत्र में कठिनाई का स्तर अंचल के विद्यार्थियों के स्तर के अनुरुप रखना सुनिश्चित करें।

(डॉ. संतोष कुमार देवांगन)
आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ. क्र. 945 /192/आउशि/गु.प्र./2026 दिनांक:- 17 /03/2026

प्रतिलिपि

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक, ... विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को पालनार्थ। विशेष ध्यान रखा जाए कि उक्त निर्देशों के अनुरूप GE एवं AEC-04 के प्रश्न पत्र का स्तर परीक्षा परिणाम का ध्यान रखते हुए सरल रखा जाये।
3. समस्त प्राचार्य, उच्च शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर (छ.ग.)